

विचार बिन्दु

मन की प्रसन्नता से समस्त मानसिक और शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। –रामदास

प्रतिबद्धता भी, संवेदनशीलता भी

कि सी कलाकार के साथ मंच पर घटित कोई अग्रिय घटना केवल उस कलाकार या कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहती। वह हमारे सामाजिक व्यवहार, हमारी अपेक्षाओं और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता के बारे में भी बहुत कुछ कह जाती है। हाल में उत्तराखंड के कुंजापुरी में लोकप्रिय पंजाबी गायक दलेर मेहंदी के साथ जो हुआ, वह इसी दृष्टि से विचारणीय है। दलेर मेहंदी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे कि राज्य के एक मंत्री मंच पर आ गए। उन्होंने गायक के प्रदर्शन पर आपत्ति जताई और उन पर नशे में होने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि दर्शक दलेर मेहंदी को सुनने आए हैं, लेकिन वे ठीक से गा नहीं पा रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ और देखते-देखते यह प्रसंग बहस का विषय बन गया।

इस पूरे प्रसंग में मुझे दो बातें महत्वपूर्ण लगती हैं। पहली, कलाकार की अपनी प्रतिबद्धता और नैतिक जिम्मेदारी। दूसरी, कलाकार के प्रति समाज, विशेषकर प्रभावशाली व्यक्तियों के व्यवहार में अपेक्षित मानवीय संवेदनशीलता और शालीनता।

किसी कार्यक्रम का निमंत्रण स्वीकार करना केवल पारिश्रमिक के बदले अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मामला नहीं है। कलाकार जब किसी आयोजन में आने का वचन देता है, तो उसके साथ अनेक अपेक्षाएँ जुड़ जाती हैं। आयोजक उसकी व्यवस्था पर धन खर्च करते हैं, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। दर्शक अपना समय निकालते हैं। कई बार दूर-दूर से लोग किसी प्रिय कलाकार को देखने-सुनने आते हैं। उनके लिए वह प्रस्तुति केवल मनोरंजन नहीं, एक भावनात्मक अनुभव भी होती है।

ऐसी स्थिति में कलाकार का दायित्व है कि वह अपनी कला को गंभीरता से ले। यदि स्वास्थ्य अथवा किसी अन्य अपरिहार्य कारण से वह अपेक्षित प्रस्तुति नहीं दे पाएगा, तो उसे आयोजकों को समय रहते इसकी सूचना देनी चाहिए। ज़रूरत हो तो उनसे संवाद करके कार्यक्रम स्थगित करने या रद्द करने का कठिन निर्णय भी लेना चाहिए। केवल इसलिए मंच पर पहुँच जाना कि वचन दिया जा चुका है, तर्कसंगत नहीं है। वचन निभाने की इच्छा के साथ उसे निभा पाने की क्षमता का आकलन भी ज़रूरी है।लोकप्रियता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। यदि दलेर मेहंदी की प्रस्तुति अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी, तो इस पर सवाल उठाना गलत नहीं था। आयोजकों और दर्शकों को यह जानने का अधिकार है कि ऐसा क्यों हुआ। यह बात मंचीय कलाकारों के साथ ही अन्य प्रस्तोताओं पर भी लागू होती है। साहित्य की दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि किसी किताब पर चर्चा के लिए आमंत्रित विशिष्ट वक्ता उसे पढ़े बिना पहुँच जाते हैं और अनगलत बोलने लगते हैं। यदि तैयारी नहीं है, तो निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई अपरिहार्य स्थिति आ जाए, तो आयोजकों को विश्वास में लेकर उचित निर्णय करना चाहिए।

अब दूसरी बात। हम अक्सर कलाकार की लोकप्रियता और प्रचारित छवि से इतने अधिभूत रहते हैं कि उसे एक मनुष्य के बजाय उसकी कला के प्रदर्शन का माध्यम मात्र मानने लगते हैं। हमारी अपेक्षा होती है कि वह हर बार वसा ही गाए, अभिनय करे या प्रस्तुति दे, जैसी हमने उससे पहले देखी-सुनी है। हम भूल जाते हैं कि कलाकार भी उम्र, थकान और बीमारी से प्रभावित होता है। उसकी शारीरिक क्षमताएँ बदल सकती हैं और कभी-कभी वह अपनी कला के सर्वोत्तम प्रदर्शन की स्थिति में नहीं होता।

इसका अर्थ यह नहीं कि दर्शक उसकी हर कमी को सहज ही स्वीकार कर लिया करें। लेकिन क्या हम असंतुष्टि व्यक्त करते समय उसकी परिस्थितियों को जानने की कोशिश कर सकते हैं? किसी कलाकार की आवाज लड़खड़ाने या उसका प्रदर्शन कमजोर होने के अनेक कारण हो सकते हैं। केवल इन संकेतों के आधार पर उसके नशे में होने का निष्कर्ष निकाल लेना उचित नहीं है। दलेर मेहंदी के मामले में भी इस आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। उन्हें नजदीक से जानने वालों ने यह कहा है कि वे शराब पीते ही नहीं हैं। इसलिए इस आरोप को प्रमाणित तथ्य की तरह नहीं, अपुष्ट आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

इस प्रसंग में मंत्री का व्यवहार भी विचारणीय है। किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कलाकार अंतर्भूत

इस समस्या का एक नया पहलू सोशल मीडिया भी है। किसी घटना का छोटा-सा वीडियो सामने आता है और तत्काल फैसले सुनाए जाने लगते हैं। वीडियो में जो दिखाई देता है, उसे ही पूरी घटना मान लिया जाता है। उसके पहले और बाद में क्या हुआ, संबंधित व्यक्तियों की परिस्थितियाँ क्या थीं और आरोपों के समर्थन में क्या प्रमाण हैं, इन सवालों के लिए बहुत कम धैर्य बचा है।

प्रदर्शन न कर रहा हो या दर्शक असंतुष्ट हो, तो आयोजकों अथवा उनके प्रतिनिधियों को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। लेकिन हस्तक्षेप का तरीका भी महत्व रखता है। यदि प्रस्तुति में कमी थी, तो कलाकार से बात की जा सकती थी, स्पष्टीकरण माँगा जा सकता था और अनुबंध के अनुसार कार्रवाई की जा सकती थी। किसी कलाकार को मंच पर सबके सामने रोकना और उस पर गंभीर आरोप लगाना क्या समस्या का सबसे उपयुक्त समाधान था? सोचिए, किसी राजनेता के भाषण के समय कोई नागरिक मंच पर जाकर ऐसा ही व्यवहार करे तो क्या उसे उचित माना जाएगा?

यहाँ प्रश्न किसी मंत्री विशेष का बचाव करने या किसी कलाकार को निर्दोष घोषित करने का नहीं है। प्रश्न सार्वजनिक जीवन की उस मर्यादा का है, जिसमें असहमति और आलोचना के लिए पूरा स्थान हो, लेकिन अपमान और अपुष्ट आरोपों के लिए नहीं। यह जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब बोलने वाला कोई मंत्री, अधिकारी या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति हो। उसके शब्दों को लोग अधिक गंभीरता से लेते हैं और उसका आरोप किसी की वर्षों की अर्जित प्रतिष्ठा पर प्रश्नचिह्नलगा सकता है। इसलिए गंभीर आरोप लगाने से पहले तथ्यों की पुष्टि और अपनी बात कहने के तरीके में संयम ज़रूरी है।

कलाकार के प्रति मेरे मन में सहज ही एक विशेष संवेदना रहती है। इसका कारण केवल यह नहीं कि वे हमारे जीवन में मनोरंजन और आनंद के क्षण लाते हैं। कला का योगदान इससे कहीं व्यापक है। कोई गायक हमारे जीवन की स्मृतियों का हिस्सा बन जाता है। कोई कवि ऐसे शब्द देता है जिनमें हम अपने सुख-दुःख पहचानते हैं। कोई अभिनेता किसी चरित्र के माध्यम से हमें अपने समय और समाज को एक ढंग से देखने की दृष्टि देता है। कलाकार और समाज के बीच का रिश्ता केवल लेन-देन का नहीं होता। कलाकार अपनी साधना से समाज को कुछ देता है और समाज उसे स्नेह, सम्मान तथा स्वीकृति देता है। यह रिश्ता कलाकार को जवाबदेही से मुक्त नहीं करता, लेकिन उसकी मानवीय गरिमा की रक्षा की अपेक्षा जरूर करता है। दलेर मेहंदी के गीतों पर वर्षों तक लोग झुमते रहे हैं, उत्सव मनाते रहे हैं। यदि किसी प्रस्तुति में कमी रही, तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन उस कमी को कलाकार के समूचे व्यक्तित्व और योगदान का पर्याय बना देना न्यायसंगत नहीं होगा। यही बात साहित्यकारों, रंगकर्मीयों, चित्रकारों और दूसरे कलाकारों पर भी लागू होती है। असहमति का अर्थ अवमानना नहीं है।

इस समस्या का एक नया पहलू सोशल मीडिया भी है। किसी घटना का छोटा-सा वीडियो सामने आता है और तत्काल फैसले सुनाए जाने लगते हैं। वीडियो में जो दिखाई देता है, उसे ही पूरी घटना मान लिया जाता है। उसके पहले और बाद में क्या हुआ, संबंधित व्यक्तियों की परिस्थितियाँ क्या थीं और आरोपों के समर्थन में क्या प्रमाण हैं, इन सवालों के लिए बहुत कम धैर्य बचा है। आरोप को प्रमाण और प्रतिक्रिया को निर्णय समझ लिया जाता है। कुछ ही घंटों में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को लेकर ऐसी धारणाएँ बना दी जाती हैं जिन्हें बदला कठिन होता है।

दलेर मेहंदी के प्रसंग में भी उनकी प्रस्तुति, स्वास्थ्य और कार्यक्रम स्वीकार करने की परिस्थितियों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन नशे में होने जैसे गंभीर आरोप को प्रमाण के बिना सच मान लेना उचित नहीं होगा। निष्पक्षता का तकाजा यह भी है कि उनके समर्थन में सामने आने वाली बातों को केवल इसलिए अंतिम प्रमाण न मान लिया जाए कि वे उनके पक्ष में हैं। सभी दावों को उपलब्ध तथ्यों की कसौटी पर परखना ज़रूरी है।

इस पूरे प्रसंग का सबक यही है कि जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। कलाकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने वचन का सम्मान करे, अपनी क्षमता का आकलन करे और दर्शकों के विश्वास को हल्के में न ले। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे कार्यक्रम की गुणवत्ता और अनुबंध का ध्यान रखें। समाज और उसके प्रभावशाली व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि शिकायत करते समय प्रमाण, भाषा और व्यवहार की मर्यादा बनाए रखें।कलाकार से जवाब माँगिए, लेकिन उसकी गरिमा की कोमत पर नहीं। उसकी चूक पर सवाल उठाइए, लेकिन उसके योगदान को विस्मृत न करें नही। किसी कलाकार का सम्मान करने का अर्थ उसकी हर चूक को क्षमा कर देना नहीं है। इसका अर्थ है कि उसकी चूक पर भी उसी न्यायबुद्धि, संयम और मानवीय संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाए जिसकी अपेक्षा हम अपने लिए करते हैं।

प्रतिबद्धता कलाकार की भी ज़रूरी है और संवेदनशीलता समाज की भी। एक सभ्य समाज में इन दोनों में से किसी एक को चुनने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल,
(शिक्षाविद और साहित्यकार)



महावीर सिंह

हाल ही में कई प्रमुख लोगों के बयान आए हैं जिनका लेबोलबाब अर्थ है कि पश्चिमी सभ्यता भारतीय युवाओं को भड़का रही है। अगर पश्चिमी सभ्यता से इतनी नफरत है, तो पश्चिम से निकले लोकतांत्रिक अधिकारों का शासक देल भाजपा विपक्ष में आई तकनीक चाहिए तो आधुनिकता, जब पश्चिम से प्रेरित संसदीय व्यवस्था चाहिए तो लोकतंत्र, लेकिन जब युवा सरकार से सवाल पूछने लगे तो पश्चिमी सभ्यता का दुष्प्रभाव, यह कैसी वैचारिक ईमानदारी है?

अभी हाल ही में संघ के विजयादशमी के संबोधन में पश्चिम से आने वाली एक ऐसी आंधी की बात कही गई जो शेष दुनिया की संस्कृतियों और व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा रही है। इसी मंच से फ्रांस, नेपाल और बांग्लादेश के आंदोलनों का उल्लेख करते हुए सत्ता परिवर्तन की राजनीति पर भी सवाल उठाए।

इन दिनों आए इस प्रकार के अस्पष्ट भाषणों बयानों से कुछ ऐतिहासिक और संवैधानिक सवाल पैदा हुए हैं। सबसे पहला सवाल, क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाना पश्चिमी सभ्यता का दुष्प्रभाव है या एक जागरूक नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार ?? जिस लोकतंत्र में आज राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, जिस संसदीय व्यवस्था के माध्यम से वर्तमान में 12 साल से अधिक समय से वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जिस संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद अपने पदों पर बैठते हैं, उस आधुनिक संवैधानिक व्यवस्था के विकास में पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब अगर वोट चोरी कराए, करदे तो वो अलग बात है।



सूर्यप्रताप सिंह राजावत

भारतीय संविधान की उद्देशिका के प्रथम शब्द हैं-हम, भारत के लोग। ये शब्द भारत की संबंघनता के मूल आधार को अभिव्यक्त करते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं, बल्कि राष्ट्र की संप्रभुता, लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक स्वतंत्रताओं और विधि के शासन का आधार है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है: क्या हम, भारत के लोग का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति, संगठन अथवा राजनीतिक समूह अपनी इच्छानुसार सत्ता परिवर्तन के लिए संवैधानिक संस्थाओं को दरकिनार कर सकता है? क्या लोकप्रिय समर्थन का दावा करके निर्वाचित सरकार को हटाने के लिए किसी भी प्रकार के साधनों को उचित ठहराया जा सकता है? इन प्रश्नों पर गंभीर संवैधानिक विमर्श आवश्यक है।

सत्ता परिवर्तन: लोकतांत्रिक अधिकार या संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती? –अक्टूबर 2026 में निर्वाचन आयोग और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित विवादों के बीच सत्ता परिवर्तन की माँग सार्वजनिक विमर्श का विषय बनी। 15

भारत की संसदीय प्रणाली पर ब्रिटेन का प्रभाव है। मौलिक अधिकारों की संवैधानिक संरचना पर अमेरिकी अनुभव का प्रभाव है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों को फ्रांसीसी क्रांति ने विश्वव्यापी राजनीतिक शक्ति प्रदान की। भारत ने इन विचारों की नकल भर नहीं की। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक सुधार आंदोलनों, भारतीय चिंतन और दुनिया के विभिन्न संवैधानिक अनुभवों को मिलाकर अपना स्वतंत्र लोकतांत्रिक संविधान बनाया।

सवाल यह है कि जब दुनिया से सीखकर बनी व्यवस्था के माध्यम से सत्ता हासिल करना स्वीकार्य है, तो उसी व्यवस्था में जनता का विरोध आपको सिद्धि क्यों लगने लगता है ??पश्चिम से निकसित आधुनिक तकनीकी स्वीकार है। पश्चिमी देशों के साथ व्यापार स्वीकार है। पश्चिम से प्रभावित संसदीय लोकतंत्र स्वीकार है। चुनावी व्यवस्था स्वीकार है।

आधुनिक संचार माध्यम स्वीकार है। तो फिर, जब उसी लोकतंत्र में कोई छात्र अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरता है, कोई बेरोजगार रोजगार मांगता है, कोई किसान अपनी फसल का उचित मूल्य मांगता है, या कोई नागरिक सरकार की नीतियों का विरोध करता है, तो उसके आंदोलन के पीछे पश्चिमी प्रभाव तलाशने की जरूरत क्यों पड़ती है ?? यह तो संस्कृति की रक्षा है या राजनीतिक सुविधा के अनुसार सिद्धांत बदलने की कला जी कहीं जाएगी ??

इतिहास का एक पन्ना पलटिए.. जब महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रहे थे, क्या वह भारत को अस्थिर करने का प्रयास था ?? जब 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किया, क्या वह कानून और व्यवस्था को चुनौती नहीं थी ??

जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, क्या उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने आंदोलनकारियों को अपनी सत्ता के लिए खतरा नहीं माना था। हां ये भी है कि आज कुछ बड़े दिखने वाले नामचीन संगठन उस समय अंग्रेजों के साथ थे।

अंग्रेज भी यही चाहते थे कि भारतीय शांत रहे, व्यवस्था चलती रहे और उनके शासन को चुनौती न मिले। लेकिन इतिहास ने हमें सिखाया कि किसी

सरकार की स्थिरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण जनता की स्वतंत्रता और न्याय है। भारत में विरोध की परंपरा कोई पश्चिम से आयातित वस्तु नहीं है। इस देश में बुद्ध ने स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी। कबीर ने धार्मिक पाखंड पर सवाल उठाए। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक अन्याय तथा शिक्षा पर एकाधिकार को चुनौती दी। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने जातिगत उत्पीड़न और सामाजिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष किया। भगत सिंह ने केवल अंग्रेजी शासन का विरोध नहीं किया, बल्कि शोषणमुक्त समाज का सपना देखा।

भारत की महानता इस बात में नहीं है कि यहां कभी विरोध नहीं हुआ। भारत की महानता इस बात में है कि यहां विरोध, तर्क, असहमति और परिवर्तन की लंबी परंपरा रही है। जब वर्तमान शासक देल भाजपा विपक्ष में थी, तब महंगाई के खिलाफ आंदोलन होते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन होते थे। सरकार से इस्तीफा मांगा जाता था। सड़कों पर उतरकर सत्ता से सवाल पूछे जाते थे। शायद तब, आंदोलन लोकतंत्र की ताकत हुआ करते थे।

लेकिन आज यदि युवा रोजगार, परीक्षा की पारदर्शिता, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता या नागरिक अधिकारों के लेकर आंदोलन करते हैं, तो उन आंदोलनों के पीछे विदेशी प्रभाव या राजनीतिक षड्यंत्र की आशंका क्यों जताई जाती है ?? क्या आंदोलन के पीछे विदेशी प्रभाव या राजनीतिक षड्यंत्र की आशंका क्यों जताई जाती है ?? क्या आंदोलन के पीछे विदेशी प्रभाव या राजनीतिक षड्यंत्र की आशंका क्यों जताई जाती है ?? क्या आंदोलन के पीछे विदेशी प्रभाव या राजनीतिक षड्यंत्र की आशंका क्यों जताई जाती है ??

संविधान का अनुच्छेद 19(1) (ए) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 19(1) (बी) शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार देता है। इन अधिकारों पर संवैधानिक रूप से उचित प्रतिबंध संभव हैं, लेकिन सरकार से असहमति अपने आप में कोई अपराध नहीं है। संविधान ने नागरिकों को केवल पांच साल में एक बार वोट डालने का अधिकार देकर चुप रहने का आदेश नहीं

दिया। लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता चुनाव के बीच भी सवाल पूछ सकती है, आलोचना कर सकती है और शांतिपूर्ण विरोध कर सकती है।

एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य भी समझिए। भारत की संविधान सभा में अनेक ऐसे सदस्य थे जिन्होंने दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया। डॉ. आंबेडकर स्वयं उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और ब्रिटेन गए थे। उन्होंने आधुनिक संवैधानिक विचारों का गंभीर अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उनका उपयोग किया। क्या हम डॉ. आंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि को इसलिए खारिज कर देंगे कि उन्होंने पश्चिमी राजनीतिक विचारों का भी अध्ययन किया था ??

विचारों की महानता उनकी भौगोलिक उत्पत्ति से नहीं, उनकी उपयोगिता और मानवीय मूल्यों से तय होती है। कोई विचार पश्चिम से आया है, इसलिए वह गलत नहीं हो जाता और कोई विचार भारत का है, इसलिए वह आलोचना से ऊपर नहीं हो जाता।यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यही बौद्धिक ईमानदारी है। पश्चिमी प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई है। पश्चिमी देशों की नीतियों, उपभोक्तावाद, साम्राज्यवाद या संस्कृतिक वर्चस्व की आलोचना करना बिल्कुल उचित है। हर कोई जनता है कि पश्चिम की हर चीज अनुकरणीय नहीं है किंतु पश्चिमी वर्चस्व का विरोध और लोकतांत्रिक असहमति को विदेशी प्रभाव से जोड़ना दो अलग बातें हैं। हमें पश्चिम का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन पश्चिम से विकसित अच्छे विचारों को केवल इसलिए ठुकराना भी नहीं चाहिए कि वे पश्चिम से आए हैं।

और सबसे बड़ी बात.. भारतीय युवाओं को सवाल पूछने के लिए किसी विदेशी सभ्यता से प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है।

जब उसका पेपर लीक होता है, तो उसका गुप्ता सार अनुच्छेद 19(1) (ए) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 19(1) (बी) शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार देता है। इन अधिकारों पर संवैधानिक रूप से उचित प्रतिबंध संभव हैं, लेकिन सरकार से असहमति अपने आप में कोई अपराध नहीं है। संविधान ने नागरिकों को केवल पांच साल में एक बार वोट डालने का अधिकार देकर चुप रहने का आदेश नहीं

दिया। लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता चुनाव के बीच भी सवाल पूछ सकती है, आलोचना कर सकती है और शांतिपूर्ण विरोध कर सकती है।

एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य भी समझिए। भारत की संविधान सभा में अनेक ऐसे सदस्य थे जिन्होंने दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया। डॉ. आंबेडकर स्वयं उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और ब्रिटेन गए थे। उन्होंने आधुनिक संवैधानिक विचारों का गंभीर अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उनका उपयोग किया। क्या हम डॉ. आंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि को इसलिए खारिज कर देंगे कि उन्होंने पश्चिमी राजनीतिक विचारों का भी अध्ययन किया था ??

विचारों की महानता उनकी भौगोलिक उत्पत्ति से नहीं, उनकी उपयोगिता और मानवीय मूल्यों से तय होती है। कोई विचार पश्चिम से आया है, इसलिए वह गलत नहीं हो जाता और कोई विचार भारत का है, इसलिए वह आलोचना से ऊपर नहीं हो जाता।यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यही बौद्धिक ईमानदारी है। पश्चिमी प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई है। पश्चिमी देशों की नीतियों, उपभोक्तावाद, साम्राज्यवाद या संस्कृतिक वर्चस्व की आलोचना करना बिल्कुल उचित है। हर कोई जनता है कि पश्चिम की हर चीज अनुकरणीय नहीं है किंतु पश्चिमी वर्चस्व का विरोध और लोकतांत्रिक असहमति को विदेशी प्रभाव से जोड़ना दो अलग बातें हैं। हमें पश्चिम का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन पश्चिम से विकसित अच्छे विचारों को केवल इसलिए ठुकराना भी नहीं चाहिए कि वे पश्चिम से आए हैं।

और सबसे बड़ी बात.. भारतीय युवाओं को सवाल पूछने के लिए किसी विदेशी सभ्यता से प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है।

जब उसका पेपर लीक होता है, तो उसका गुप्ता सार अनुच्छेद 19(1) (ए) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 19(1) (बी) शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार देता है। इन अधिकारों पर संवैधानिक रूप से उचित प्रतिबंध संभव हैं, लेकिन सरकार से असहमति अपने आप में कोई अपराध नहीं है। संविधान ने नागरिकों को केवल पांच साल में एक बार वोट डालने का अधिकार देकर चुप रहने का आदेश नहीं

दिया। लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता चुनाव के बीच भी सवाल पूछ सकती है, आलोचना कर सकती है और शांतिपूर्ण विरोध कर सकती है।

एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य भी समझिए। भारत की संविधान सभा में अनेक ऐसे सदस्य थे जिन्होंने दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया। डॉ. आंबेडकर स्वयं उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और ब्रिटेन गए थे। उन्होंने आधुनिक संवैधानिक विचारों का गंभीर अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उनका उपयोग किया। क्या हम डॉ. आंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि को इसलिए खारिज कर देंगे कि उन्होंने पश्चिमी राजनीतिक विचारों का भी अध्ययन किया था ??

विचारों की महानता उनकी भौगोलिक उत्पत्ति से नहीं, उनकी उपयोगिता और मानवीय मूल्यों से तय होती है। कोई विचार पश्चिम से आया है, इसलिए वह गलत नहीं हो जाता और कोई विचार भारत का है, इसलिए वह आलोचना से ऊपर नहीं हो जाता।यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यही बौद्धिक ईमानदारी है। पश्चिमी प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई है। पश्चिमी देशों की नीतियों, उपभोक्तावाद, साम्राज्यवाद या संस्कृतिक वर्चस्व की आलोचना करना बिल्कुल उचित है। हर कोई जनता है कि पश्चिम की हर चीज अनुकरणीय नहीं है किंतु पश्चिमी वर्चस्व का विरोध और लोकतांत्रिक असहमति को विदेशी प्रभाव से जोड़ना दो अलग बातें हैं। हमें पश्चिम का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन पश्चिम से विकसित अच्छे विचारों को केवल इसलिए ठुकराना भी नहीं चाहिए कि वे पश्चिम से आए हैं।

और सबसे बड़ी बात.. भारतीय युवाओं को सवाल पूछने के लिए किसी विदेशी सभ्यता से प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है।

जब उसका पेपर लीक होता है, तो उसका गुप्ता सार अनुच्छेद 19(1) (ए) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 19(1) (बी) शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार देता है। इन अधिकारों पर संवैधानिक रूप से उचित प्रतिबंध संभव हैं, लेकिन सरकार से असहमति अपने आप में कोई अपराध नहीं है। संविधान ने नागरिकों को केवल पांच साल में एक बार वोट डालने का अधिकार देकर चुप रहने का आदेश नहीं

दिया। लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता चुनाव के बीच भी सवाल पूछ सकती है, आलोचना कर सकती है और शांतिपूर्ण विरोध कर सकती है।

एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य भी समझिए। भारत की संविधान सभा में अनेक ऐसे सदस्य थे जिन्होंने दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया। डॉ. आंबेडकर स्वयं उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और ब्रिटेन गए थे। उन्होंने आधुनिक संवैधानिक विचारों का गंभीर अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उनका उपयोग किया। क्या हम डॉ. आंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि को इसलिए खारिज कर देंगे कि उन्होंने पश्चिमी राजनीतिक विचारों का भी अध्ययन किया था ??

विचारों की महानता उनकी भौगोलिक उत्पत्ति से नहीं, उनकी उपयोगिता और मानवीय मूल्यों से तय होती है। कोई विचार पश्चिम से आया है, इसलिए वह गलत नहीं हो जाता और कोई विचार भारत का है, इसलिए वह आलोचना से ऊपर नहीं हो जाता।यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यही बौद्धिक ईमानदारी है। पश्चिमी प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई है। पश्चिमी देशों की नीतियों, उपभोक्तावाद, साम्राज्यवाद या संस्कृतिक वर्चस्व की आलोचना करना बिल्कुल उचित है। हर कोई जनता है कि पश्चिम की हर चीज अनुकरणीय नहीं है किंतु पश्चिमी वर्चस्व का विरोध और लोकतांत्रिक असहमति को विदेशी प्रभाव से जोड़ना दो अलग बातें हैं। हमें पश्चिम का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन पश्चिम से विकसित अच्छे विचारों को केवल इसलिए ठुकराना भी नहीं चाहिए कि वे पश्चिम से आए हैं।

और सबसे बड़ी बात.. भारतीय युवाओं को सवाल पूछने के लिए किसी विदेशी सभ्यता से प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है।

जब उसका पेपर लीक होता है, तो उसका गुप्ता सार अनुच्छेद 19(1) (ए) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 19(1) (बी) शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार देता है। इन अधिकारों पर संवैधानिक रूप से उचित प्रतिबंध संभव हैं, लेकिन सरकार से असहमति अपने आप में कोई अपराध नहीं है। संविधान ने नागरिकों को केवल पांच साल में एक बार वोट डालने का अधिकार देकर चुप रहने का आदेश नहीं

दिया। लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता चुनाव के बीच भी सवाल पूछ सकती है, आलोचना कर सकती है और शांतिपूर्ण विरोध कर सकती है।

एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य भी समझिए। भारत की संविधान सभा में अनेक ऐसे सदस्य थे जिन्होंने दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया। डॉ. आंबेडकर स्वयं उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और ब्रिटेन गए थे। उन्होंने आधुनिक संवैधानिक विचारों का गंभीर अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उनका उपयोग किया। क्या हम डॉ. आंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि को इसलिए खारिज कर देंगे कि उन्होंने पश्चिमी राजनीतिक विचारों का भी अध्ययन किया था ??



पंडित अनिल शर्मा

तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह
आज कुमार योग दिन 9:42 से सायं 5:41 तक है। आज सत्य व्रत, श्री वाल्मीकी जयन्ती है। आज से कार्तिक स्नान आरम्भ होगा और जैन ओली पूर्ण होगी।
श्रेष्ठ चौघड़िया– अमृत सूर्योदय से 8:00 तक, शुभ 9:23 से 10:47 तक, चर 1:34 से 2:58 तक, लाभ–अमृत 2:58 से सूर्यास्त तक।
राहुकाल– 7:30 से 9:00 तक, सूर्योदय 6:36, सूर्यास्त 5:45

राशिफल

सोमवार 26 अक्टूबर, 2026

आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, सोमवार, विक्रम संवत-2083, अश्विनी नक्षत्र सायं 7:41 तक, वज्र योग दिन 2:17 तक, बव कर्ण पक्ष: 9:42 तक, चन्द्रमा आज वेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति– सूर्य-तुला, चन्द्रमा-मेघ, मंगल-कर्क, बुध-तुला, गुरु-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह
आज कुमार योग दिन 9:42 से सायं 5:41 तक है। आज सत्य व्रत, श्री वाल्मीकी जयन्ती है। आज से कार्तिक स्नान आरम्भ होगा और जैन ओली पूर्ण होगी।
श्रेष्ठ चौघड़िया– अमृत सूर्योदय से 8:00 तक, शुभ 9:23 से 10:47 तक, चर 1:34 से 2:58 तक, लाभ–अमृत 2:58 से सूर्यास्त तक।
राहुकाल– 7:30 से 9:00 तक, सूर्योदय 6:36, सूर्यास्त 5:45



मेघ

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आवश्यक कार्य के लिए यात्रा संभव है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



तुला

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आज आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



वृष

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आवश्यक कार्य के लिए यात्रा संभव है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



वृश्चिक

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटकलें हटें। आवश्यक कार्य के लिए यात्रा संभव है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



मिथुन

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।



धनु